

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक-२२२/11-सी-FP/UP/Others/16134/2015, लखनऊ, दिनांक: जून / 7, 2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,  
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय:- जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस0एच0-1 किमी0 153-154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वाणिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/46/2017/एफ0सी0/72, दिनांक-11.08.2017  
गहोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के पत्रांक-2770/2-6, दिनांक 22.01.2020 तथा पत्रांक-3365/2-6, दिनांक 16.03.2020 के द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 11.06.2020 को उपलब्ध कराया गया है।

अतः उक्त पत्रों की छायाप्रतियाँ एवं बिन्दुवार निराकरण प्रस्ताव में संलग्न करते हुये संशोधित प्रस्ताव की दो मूल प्रतियाँ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
17/6

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:- /11-सी-FP/UP/Others/16134/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, देवरिया।
3. डिविजनल मैनेजर, नयारा एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), अरिहन्त काम्प्लेक्स, सिगरा, वाराणसी।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।